आदेश कार्रवा टिप्पणी 1118 ...यम, ...द

फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) श्रीमती ममता देवी पति नरेश राम उर्फ नरेश कुमार, निवास स्थान ग्राम-महेशरा, पोस्ट-महेशरा, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग एवं (2.) श्रीमती अन्नु देवी पति प्रमेश्वर दास, निवास स्थान ग्राम-ओरिया, पोस्ट-ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-रोला, थाना नं0-176, खाता संख्या-62, प्लॉट संख्या-512, रकवा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि श्रीमती देवन्ती देवी पति मनोज कुमार दास, निवास स्थान हुरहुरु, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदिका एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22015309 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-152/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 546/रा0 दिनांक 03.02.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1118 दिनांक 23.07.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, चेक स्लीप एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत तुलवा भुइंया हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.19 एकड़ है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-119/III पर ममता देवी, संगीता देवी, अन्नु देवी, पिंकी देवी के नाम पर रकवा 0.19 एकड़ की जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत् है। आवेदिकागण के स्वयं के नाम जमाबंदी कायम है। आवेदिकागण द्वारा धारित कुल रकवा 0.19 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदिकागण के पास रकवा 0.16 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदिकागण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3
	Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है। प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) श्रीमती ममता देवी पति नरेश राम उर्फ नरेश कुमार, निवास स्थान ग्राम–महेशरा, पोस्ट–महेशरा, थाना–दारू, जिला–हजारीबाग एवं (2.) श्रीमती अन्नु देवी पति प्रमेश्वर दास, निवास स्थान ग्राम–ओरिया, पोस्ट–ओरिया, थाना–मुफ्फसिल, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–रोला, थाना नं0–176, खाता संख्या–62, प्लॉट संख्या–512, रकवा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि श्रीमती देवन्ती देवी पति मनोज कुमार दास, निवास स्थान हुरहुरू, पोस्ट–हजारीबाग, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.16 14:56:23 +05:30
Location: 192.168.100.2